

2018/00110

11/2018

From No. III

फर्द अहकाम
(नियम - 26)

अदालत (मुकाम)
 उपरवर्त आधिकारी
 जगदीश जी नारायण मेजवाल एडवोकेट बनाम सरपंच ठा. पिपरा
 किस्म मुकदमा नं. 110/2018 सन्

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी हुए।
25/5/18	<p>अपील अपीलॉट ने इस अपील इस कारण का पेश की गई कि सरपंच जी का आंकना के क्रम नं 2099, 2100, की पूर्ण शर्तों के अधीन के पिता की जसाराभ व नाम दर्ज है। अपीलॉट के पिता के देहांत होने पर विरासत का नामांतरण किं 1693 कि 19/10/09 भरा गया, तब पिता जी-प पिता व अपीलॉट के पुत्र के बीच स्वीकृत कर हेतु एक नं 10 मारी कर। मूल की वी संघों कि अपीलॉट के वास्तविक नाम जगदीश जसाराभ है। जो नामांतरण में केशवकुमार के नाम दर्ज कर लिया गया है, इसलिए अपीलॉट की नामांतरण 1693 कि 19-10-09 का अपास्त कर पुनः सही नाम से नामांतरण किया जावे। अपीलॉट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस तथा तहसीलदार, मालवा संवेक्षण द्वारा जारी प्रमाण -</p>	

तारीख हुक्मा	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल्स जज	नम्बर या अहकाम जो इस हुक्म का तामिल में जारी है
-------------------------	---	--

अपील में उल्लेखित कथनों के
की ताईद लेनी के अलावा
अपीलाधीन नानामत करण की
सं 1693 के यथावत रखा जाना
न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है
तथा अपील अंशिक स्वीकार योग्य है
-: आदेश :-

अतः अपीलाधीन नानामत करण
सं 1693 (1693) को अमान्य किया
जाकर यह मांग अंत के इच्छित
के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है
कि बाद अन्य व पार्श्व (अपीलेंट)
को बुनवाई का इवस्य इतने हूये
पुनः नियमावली गये सिरे से
नानामत करण की कार्यवाही करें।
मिलत फैसल हुक्म देना
नये के मय हुक्म देना
दाखिल दस्तावेज निम्नानुसार
में (लगाए)

S/O



0.1265
21.8022

8
संख्या
दिनांक

सं. अ. नि. नि.
दिनांक :-

11/11